शीर्ष प्राथमिकता

उ0प्र0मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना

संख्या– (1)/26–2–2010मु0स0/2010

प्रेषक,

प्रेम नारायण,
समाज कल्याण आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक :24 सितम्बर 2010

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपदों में विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों को भेजा गया था एवं उनके द्वारा दिये गये फीडबैक के आधार पर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. योजना की रूपरेखा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन पाने वाले सभी व्यक्ति तथा बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्डधारक व्यक्ति योजना में सम्मिलित नहीं किये जाने हैं। अतः जनपद स्तर पर ग्राम पंचायतवार एवं वार्डवार खुली बैठकों के आधार पर लाभार्थियों की जो सूची अंतिम की जाय उसके संबंध में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अनुमोदन से अंतिम की गयी सूची में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बी0पी0एल0/अत्योदय राशन कार्ड धारक सम्मिलित नहीं है। जनपद स्तर पर यह सभी प्रकार की सूचियां कम्प्यूटराइज्ड हैं अतः मिलान करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए एवं जनपद के संबंधित विभागीय अधिकारी यथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर उसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाय।
2. कुछ जनपदों से इस प्रकार की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कम्प्यूटराइजेशन में लगी कम्प्यूटर एजेंसियों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के सूचियों में परिवर्तन/परिवर्धन किया गया है जो किसी भी

प्रकार से अनुमन्य नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाय कि ग्राम पंचायतों/वार्डों की खुली बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुरूप ही सूचियां बनी हैं तथा जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात ही कम्प्यूटर में अपलोड हुई हैं। यदि कम्प्यूटर में अपलोड पहले ही कर दी गयी हैं तो भी उस सूची को अभिलेखों से पुनः चेक कर लिया जाय ताकि किसी प्रकार की कोई गलती न रहे एवं खुली बैठकों में चयनित एवं जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थियों को ही योजना का वास्तविक लाभ मिले।

3. दिनांक 20 सितम्बर 2010 को सभी जनपदों से योजना के संबंध में वीडियो कान्फेंसिंग की गयी थी तथा जनपदों द्वारा अंतिम किये गये लाभार्थियों की संख्या नोट करायी गयी थी एवं जनपदों से लाभार्थियों की सूची दिनांक 22.09.2010 तक एन0आई0सी0 के साफ्टवेयर में अपलोड करने की अपेक्षा की गयी थी। कुछ जनपदों की अपलोड की गयी सूची तथा वीडियो कान्फेंसिंग में बतायी गयी संख्या में अन्तर है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जिलाधिकारी के स्तर पर जो सूची अंतिम की गयी है उसे ही अपलोड किया गया है अथवा कोई अन्य नाम अपलोड कर दिये गये हैं। इस संबंध में विशेष सतर्कता आवश्यक है एवं इसे जिलाधिकारी स्वयं देखने का कष्ट करें एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि जो संख्या जनपद स्तर पर लाभार्थियों की उनके द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गयी है उन लाभार्थियों का डाटा ही अपलोड किया जाय। सूची के अपलोडिंग का कार्य तत्काल पूर्ण कराया जाय।

4. इस योजना के अन्तर्गत फण्ड ट्रांसफर के संबंध में यह व्यवस्था की गयी है कि जनपद स्तर पर लीड बैंक की मुख्य शाखा में अपर जिला विकास अधिकारी (समाज कल्याण) तथा जिलाधिकारी के पदनाम से एक नोशनल खाता खोला जायेगा जिसमें धनराशि लीड बैंक के लखनऊ स्थित कार्यालय से इलेक्ट्रानिक माध्यम से सीधे हस्तांतरित की जायेगी। निदेशक समाज कल्याण द्वारा इस प्रकार प्रदेश के कुल 9 लीड बैंकों में फण्ड हस्तांतरण हेतु लखनऊ स्थित उनकी नोडल शाखाओं में खाता खोला जायेगा तथा उसमें जनपदों की संख्या के अनुसार आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। अतः नोशनल खाता खोलने की कार्यवाही तत्काल कर ली जाय।

5. अंतिम रूप से चयनित लाभार्थियों के आवेदन पत्र भी योजना के अधीन भराये जाने हैं जिसका प्रारूप पहले ही भेजा जा चुका है। यह प्रारूप सार्थक रूप से तभी भरा जा सकेगा जब लाभार्थी का खाता भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में खुला हो तथा आवेदन पत्र भराये जाने के साथ ही साथ खाता खुलवाने की कार्यवाही दिनांक 26.09.2010 तक अवश्य पूर्ण करा ली जाय। यह अत्यन्त आवश्यक है कि जितने आवेदन पत्र खाते सहित एवं जाति प्रमाण पत्र

व अन्य वांछित प्रमाण पत्रों सहित भरे गये हों ऐसे आवेदन पत्रों को तुरन्त एन0आई0सी0 के संबंधित साफ्टवेयर में डाटा फीडिंग कर अपलोड करा दिया जाय। एन0आई0सी0 द्वारा इस साफ्टवेयर को संचालित कर दिया गया है। यह इस कारण भी आवश्यक है क्योंकि इसी आवेदन पत्र एवं खाते की सूचना के आधार पर धनराशि लीड बैंकों के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जा सकेगी।

शासन द्वारा यह अपेक्षा की गयी है कि उपरोक्तानुसार समस्त कार्य पूर्ण कराते हुए अंतिम रूप से सूची एवं आवेदन पत्र को दिनांक 26.09.2010 तक अवश्य अपलोड करा दिया जाय ताकि धनराशि भेजने में कोई असुविधा न हो। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा इस योजना की समीक्षा इसी माह के अंत में की जायेगी, अतः जिलाधिकारियों का विशेष ध्यान इस ओर अपेक्षित है।

अनुरोध है कि कृपया उक्त बिन्दुओं पर प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त

पृष्ठांकन संख्या–3107 (1)/26–2–2010मु0स0/2010

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त जिलाधिकारियों/मण्डजलायुक्तों को एन0आई0सी0 के ई–मेल के माध्यम से अविलम्ब भिजवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(प्रेम नारायण)
समाज कल्याण आयुक्त